भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 700

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

700. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए क्या विशिष्ट लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है;
(ग) क्या सरकार का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और
(घ) क्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो चौबीस घंटे टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से युक्तिसंगत, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए, देश भर में एक टोल-फ्री नंबर (14416) दिया गया है।

इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

i. देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में चौबीस घंटे टेली-मानसिक स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करके, पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति तक किसी भी समय पहुंचने वाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को तेजी से बढ़ाना है।

ii. एक पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क कार्यान्वित करना, जो परामर्श के अतिरिक्त एकीकृत चिकित्सा और मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करता है।

iii. आबादी के कमजोर समूहों और दुर्गम आबादी तक सेवाओं का विस्तार करना।

दिनांक 03.02.2025 तक 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएँ राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 18,13,000 से अधिक कॉल ली गई हैं।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी) के लिए क्रमशः 120.98 करोड़ रुपये, 133.73 करोड़ रुपये और 90.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अर्थात् 10 अक्टूबर, 2024 को टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकार ने सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज (एएफएमसी), पुणे में एक समर्पित टेली-मानस सेल की स्थापना की है, ताकि सभी सशस्त्र बलों के कार्मिकों और उनके आश्रितों को टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके, ताकि उनके पास उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में और वृद्धि की जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश के 767 जिलों के जिला अस्पतालों में मानसिक रोग का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार करने के लिए लागू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और इसमें बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अंतक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।

(घ): एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं में स्नातकोत्तर (पीजी) विभागों में छात्रों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 पीजी विभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की है।

देश में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, एनएमसी के पीजीएमईबी ने दिनांक 15.1.2024 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक - 2023 (पीजीएमएसआर-2023) जारी किया है। एमडी(मनोचिकित्सा) में सीटों की शुरुआत/बढ़ोतरी करने के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 20% वृद्धि के साथ अधिकतम 2 पीजी छात्रों के वार्षिक प्रवेश के लिए ओपीडी की संख्या को घटाकर प्रति दिन 30 कर दिया है। इसी प्रकार, एक मेडिकल कॉलेज में 2 सीटों के साथ एमडी (मनश्चिकित्सा) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम बेड की आवश्यकता 8 बेड, 3 सीटों के लिए 12 बेड और 5 सीटों के लिए 20 बेड है।

एनएचएम के तहत, देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय दिए गए हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ते दिए जाते हैं ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।
- विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार वर्ष 2018 से तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और तंत्रिका विज्ञान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता भी बढ़ा रही है। डिजिटल अकादमी के तहत प्रशिक्षित पेशेवरों की कुल संख्या 42488 है।

*****